रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 2014/फाल्गुन 28, 1935
No. 137] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 2014/PHALGUNA 28, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 13 मार्च, 2014

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2014

सा.का.नि.190(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तृतीय संशोधन) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे ।

(ii) स्पष्ट रूप से उल्लेख के सिवाय, इस संशोधन के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह 20 मई, 2011 से लागू हुआ है।

2. विनियम 2 में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी) में, विनियम 2 में, खंड (vii) के बाद, निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् : —

"(viiए) `सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)' का तात्पर्य ऐसी भागीदारी से है जो सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत गठित और पंजीकृत की गई है।"

3. विनियम 5 में संशोधन

विनियम 5 में, उप-विनियम (8) के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम जोड़ा जाएगा अर्थात्:—

" (9) भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति (पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश के नागरिक के अलावा) या भारत से बाहर निगमित एंटीटी (पाकिस्तान या बांग्लादेश की एंटीटी के अलावा) जो सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक अथवा विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक अथवा अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशक अथवा सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक नहीं है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत एलएलपी की पूंजी संरचना में पूंजी में अंशदान अथवा शेयरों के अर्जन/लाभ के अंतरण द्वारा अनुसूची 9 में विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत विदेशी पूंजी का अंशदान कर सकता है।"

4. मौजूदा अनुसूची 8 के बाद, नयी अनुसूची 9 जोड़ी जाएगी ।

[सं. फेमा. 298/2014−आर बी]

रुद्र नारायण कर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :

(i) मूल विनियमावली सा.का.नि. संख्या 406 (अ), दिनांक 08.05.2000 के द्वारा सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप खंड (i), में प्रकाशित और बाद में निम्नानुसार संशोधित की गयी थी: —

सा.का.नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001

सा.का.नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001

सा.का.नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001

सा.का.नि. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002

सा.का.नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002

सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003

सा.का.नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003

सा.का.नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003

सा.का.नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003

सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003

सा.का.नि. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004

सा.का.नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004

सा.का.नि. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004

सा.का.नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004

सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004

सा.का.नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005

सा.का.नि. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005

सा.का.नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005

सा.का.नि. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005

सा.का.नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005

सा.का.नि. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005

सा.का.नि. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006

सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006

सा.का.नि. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007

सा.का.नि. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007

सा.का.नि. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007

सा.का.नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008

सा.का.नि. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008

सा.का.नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009

सा.का.नि. सं. 341 (अ) दिनांक 21.04.2010

(ii) यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव दिये जाने के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा ।

अनुसूची 9

[देखें विनियम 5(9)]

भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा सीमित देयता भागीदारी फर्म (LLP) में पूंजी अंशदान अथवा शेयर के लाभार्जन/अंतरण के लिए योजना

यह योजना सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत गठित और पंजीकृत सीमित देयता भागीदारी फर्म (LLP) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI-LLP) की योजना कहलाएगी।

1. पात्र निवेशक :

भारत से बाहर का कोई निवासी कोई व्यक्ति अथवा भारत से बाहर निगमित कोई एंटीटी एलएलपी में एफडीआई के प्रयोजन के लिए पात्र निवेशक होगा/होगी। हालांकि, निम्नलिखित एलएलपी में निवेश के लिए पात्र नहीं होंगे :

(i) पाकिस्तान और बांग्लादेश का नागरिक/एंटीटी, अथवा

(ii) सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक, अथवा

(iii) सेबी के पास पंजीकृत विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक, अथवा

(iv) सेबी के पास पंजीकृत अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशक, अथवा

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियमावली, 2014 के अनुसार पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक।

2. विदेशी निवेश स्वीकारने के लिये एलएलपी की पात्रता

(i) एलएलपी, मौजूदा अथवा नयी, जो उन क्षेत्रों में परिचालन करती है / गतिविधियों में संलग्न है जहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होगी। ऐसे क्षेत्रों का सुनिश्चय करने के लिए, समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 का अनुबंध 'बी' देखें।

(ii) निम्नलिखित क्षेत्रों / गतिविधियों में संलग्न एलएलपी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वीकारने के लिए पात्र नहीं होंगी:

(ए) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वीकारने के लिए पात्र क्षेत्र किंतु जो एफडीआई से संबद्ध निष्पादन संबंधी शर्तों के तहत हैं (उदाहरण के लिए: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों अथवा टाउनशिप के विकास, आवास (हाउसिंग), इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और कन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिये, यथा लागू, न्यूनतम पूंजीकरण मानक); अथवा

(बी) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% से कम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वीकारने के लिए पात्र क्षेत्र; अथवा

सी) सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वीकारने के लिए पात्र क्षेत्र; अथवा

(डी) कृषि/प्लांटेशन गतिविधि और प्रिंट मीडिया; अथवा

(ई) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वीकारने के लिए अपात्र क्षेत्र अर्थात मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अंतर्गत निषिद्ध किसी क्षेत्र (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/ 2000-आरबी की अनुसूची 1 का संलग्नक 'ए') के साथ-साथ समय-समय पर यथासंशोधित (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.1/2000-आरबी के विनियम 4(बी) के अनुसार निषिद्ध क्षेत्र/गतिविधियां ।

3. पात्र निवेश

किसी एलएलपी की पूंजी में अंशदान इस योजना के अंतर्गत पात्र निवेश होगा ।

नोट: 'लाभ की भागीदारी' के द्वारा निवेश अर्जन के पुनर्निवेश की श्रेणी में आयेगा ।

4. प्रवेश मार्ग

किसी एलएलपी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सरकारी / विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होगी ।

किसी एलएलपी में किसी भी रूप में विदेशी निवेश, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, के लिए सरकारी/विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन की अपेक्षा होगी (भले ही भारतीय कंपनी के 'स्वामित्व' अथवा 'नियंत्रण' का स्वरूप कैसा भी क्यों न हो) ।

5. कीमत निर्धारण

पूंजी में अंशदान अथवा शेयरों के लाभार्जन के अंतरण के मार्फत एलएलपी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु कीमत निर्धारण किसी अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार की गयी प्रणाली/बाज़ार व्यवहार के अनुसार स्वीकृत मूल्यांकन मानकों के अनुसार आकलित उचित मूल्य से अधिक अथवा समान होगा (इसके बाद किसी एलएलपी के पूंजी अंशदान/ शेयर के लाभ के उचित मूल्य के रूप में उल्लिखित) और इस आशय का प्रमाणपत्र किसी सनदी लेखाकार अथवा पेशेवर कॉस्ट एकाउंटेंट अथवा केंद्र सरकार के पैनल के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता द्वारा जारी किया जाएगा।

किसी निवासी से किसी अनिवासी को पूंजी अंशदान/शेयर-लाभ के अंतरण के मामले में, एलएलपी के पूंजी अंशदान/शेयर-लाभ के लिए प्रतिफल 'उचित मूल्य' के समान अथवा उससे अधिक होगा। इसके अलावा, किसी अनिवासी से किसी निवासी को पूंजी अंशदान/शेयर-लाभ के अंतरण हेतु प्रतिफल एलएलपी के पूंजी अंशदान/शेयर-लाभ के उचित मूल्य से कम अथवा समान होगा।

6. किसी पात्र निवेशक के लिये भुगतान का तरीका

किसी पात्र निवेशक द्वारा एलएलपी के पूंजी अंशदान के लिये भुगतान की अनुमति केवल नकद रूप में प्राप्त प्रतिफल के रूप में होगी -

(i) सामान्य बैंकिंग चैनल से आवक विप्रेषण के रूप में ; अथवा

(ii) किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के पास रखे संबंधित व्यक्ति के एनआरई/एफसीएनआर (बी) खाते को नामे करके।

7. रिपोर्टिंग

(i) एलएलपी पूंजी में अंशदान और शेयर-लाभों हेतु प्राप्त प्रतिफल राशि का ब्योरा, समय-समय पर, रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट फार्म प्रत्यक्ष विदेशी निवेश–एलएलपी (I) में एफआयआरसी की प्रति/प्रतियों के साथ,

जिसमें विप्रेषण की प्राप्ति का साक्ष्य हो, अनिवासी निवेशक के संबंध में केवायसी रिपोर्ट, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के मार्फत, कीमत निर्धारण के संबंध में मूल्यन प्रमाणपत्र (उपर्युक्त पैराग्राफ 4 के अनुसार) सहित, प्रतिफल राशि की प्राप्ति की तारीख से यथाशीघ्र किंतु 30 दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को रिपोर्ट करें। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा रिपोर्ट की पावती दी जाएगी जो रिपोर्ट की गयी राशि के लिये यूआयएन आबंटित करेगा।

(ii) भारत में विप्रेषण प्राप्त करने वाला प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक राशि विप्रेषित करने वाले विदेशी निवेशक के संबंध में केवायसी उसके समुद्रपारीय बैंक से प्राप्त करे।

(iii) किसी निवासी और किसी अनिवासी के बीच (अथवा विपर्यय) पूंजी में अंशदान अथवा शेयर-लाभ के विनिवेश/अंतरण के संबंध में निधियों की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर, समय-समय पर, रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-एलएलपी (II) में रिपोर्ट करेगा ।

8. डाउनस्ट्रीम निवेश

(ए) किसी भारतीय कंपनी को (ऐसे विदेशी निवेश के प्रतिशत पर विचार किये बिना चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष) को एलएलपी में डाउनस्ट्रीम निवेश करने की अनुमति तभी होगी जब दोनों अर्थात कंपनी और एलएलपी ऐसे क्षेत्र में परिचालन कर रही हों जहां 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति स्वचालित मार्ग के अंतर्गत अनुमत है और एफडीआय संबद्ध निष्पादन की शर्तें नहीं है। कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पंजीकृत भारतीय कंपनी से निवेश स्वीकार करने वाली एलएलपी का यह दायित्व होगा की वह डाउनस्ट्रीम अपेक्षा से संबंधित यथा लागू अनुपालन सुनिश्चित करे ।

(बी) इस योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कोई एलएलपी भारत में किसी भी एंटीटी में निवेश करने के लिए पात्र नहीं होगी।

9. अन्य शर्तें

(i) यदि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता किसी एलएलपी का नामित भागीदार कोई कंपनी निकाय है अथवा सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 7 के उपबंधों के अनुसार नामित पार्टनर के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को नामित करता है तो ऐसा कंपनी निकाय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत यथा लागू भारत में पंजीकृत कोई कंपनी ही हो सकती है और कोई अन्य निकाय नहीं, जैसे कि कोई अन्य एलएलपी अथवा ट्रस्ट । ऐसी एलएलपी के लिए नामित पार्टनर सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 7(1) के स्पष्टीकरण के अंतर्गत यथापरिभाषित 'भारत में निवासी व्यक्ति की अपेक्षा को पूरा करता हो जैसाकि विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2 (v)(i) में विनिर्दिष्ट है।

(ii) नामित पार्टनर उल्लिखित सभी शर्तों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा और एलएलपी द्वारा किए गए किसी उल्लंघन, यदि कोई, के लिए लगाए जाने वाले दण्ड का भी भागी होगा।

(iii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कंपनी के किसी एलएलपी में परिवर्तन होने की अनुमति तभी दी जाएगी जब उक्त विनिर्देशन (भुगतान के स्वरूप संबंधी विनिर्देशन के अलावा) पूरे होते हों और तत्संबंध में एफआयपीबी / सरकार का पूर्वानुमोदन भी हो ।

(iv) एलएलपी को ईसीबी लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

10. 20 मई 2011 से रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में अनुदेश जारी करने की तारीख के बीच एलएलपी द्वारा प्राप्त विदेशी निवेश के संबंध में वे इन अनुदेशों के जारी होने की तारीख से 30 अथवा 60 दिनों, यथा लागू, अपेक्षानुसार रिपोर्टिंग पूरी करेंगे।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-एलएलपी (I) फार्म

इस योजना के अंतर्गत पूंजी में अंशदान और शेयरों के लाभार्जन के लिए एलएलपी द्वारा प्रतिफल राशि की प्राप्ति के संबंध में रिपोर्ट

(एलएलपी द्वारा प्रतिफल राशि की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर उसकी घोषणा करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के पास, जिसके क्षेत्राधिकार में घोषणा करने वाली एलएलपी स्थित है, फाइल किया जाए।)

आयकर विभाग द्वारा निवेशिती (investee) एलएलपी को आबंटित स्थायी खाता सं (पैन)	

सं.	ब्योरे	(स्पष्ट अक्षरों में)
1.	एलएलपी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता राज्य फैक्स नं. टेलीफोन नं. ई-मेल	
	एलएलपी के रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा दी गयी पहचान सं. पंजीकरण की तारीख	
	क्या मौजूदा एलएलपी है अथवा नई एलएलपी है	मौजूदा एलएलपी/ नई एलएलपी (जो लागू न हो उसे काट दें)
	मौजूदा एलएलपी के मामले में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित पंजीकरण सं., अगर कोई हो तो, दें।	
2.	**विदेशी निवेशक के ब्योरे**	
	नाम	
	नामित पार्टनर की पहचान सं.	
	पता	
	देश	
	निवेशकर्ता एंटीटी का गठन/स्वरूप	
	उल्लेख करें कि	

	1. व्यक्ति 2. एलएलपी 3. कंपनी 4. विदेशी ट्रस्ट 5. प्रायवेट ईक्विटी फंड 6. पेंशन/ प्राविडंट फंड 7. सरकारी धनसंपदा निधियां[1] 8. साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्म 9. वित्तीय संस्था 10. अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल का व्यक्ति 11. अन्य (कृपया उल्लेख करें) है।		
3.	निधियों की प्राप्ति की तारीख		
4.	राशि	**विदेशी मुद्रा में**	**भारतीय रुपये में**
5.	एलएलपी की गतिविधि		
	(i) मुख्य कारोबारी गतिविधि का ब्योरा एनआयसी कोड		
	(ii) यह पुष्टि की जाती है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है जिसके साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी निष्पादन शर्त नहीं है।	**हां/नहीं**	
	(iii) सरकारी अनुमोदन का ब्योरा [अनुमोदन पत्र की सं. और तारीख (प्रतिलिपि संलग्न करें)]		
6.	**प्राधिकृत व्यापारी बैंक कस जिसके मार्फत बिप्रेषण प्राप्त हुआ**		
7.	**प्राधिकृत व्यापारी बैंक का पता**		

[1] सरकारी धन निधि का अर्थ है सरकारी निवेश संस्था, जिसका निधीयन विदेशी मुद्रागत परिसंपत्तियों द्वारा किया जाता हो और जो मौद्रिक प्राधिकरणों की शासकीय रिज़र्व निधियों से अलग उन परिसंपत्तियों का प्रबंध करता हो।

निवेश प्राप्तकर्ता एलएलपी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी का हस्ताक्षर (मुहर)	प्राधिकृत व्यापारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी का हस्ताक्षर (मुहर)

केवल भारतीय रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए:
प्राप्त विप्रेषण के लिए यूआईएन

एलएलपी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा फाइल की जानेवाली घोषणा :

(जो लागू न हो उसे काट कर हस्ताक्षर **करके प्रमाणित** करें)

हम एतदद्वारा घोषित करते हैं कि :

1. हम समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी में दर्शाए अनुसार पूंजी में अंशदान और शेयर लाभ के लिए प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं।
2. एफआयपीबी के दिनांक ……….. के अनुमोदन सं. ……. के अनुसार पूंजी अंशदान/ शेयर लाभ के लिए अनिवासी निवेशक को लिखत जारी किये गये हैं।
3. हम 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी के अनुपालन में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहे हैं : —

(i) हमारे नामित पार्टनर द्वारा यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण-पत्र कि:

(ए) एलएलपी अधिनियम, 2008 की सभी अपेक्षाएं पूरी कर ली गयी हैं;

(बी) सरकारी अनुमोदन की शर्तों का अनुपालन कर लिया गया है;

(सी) एलएलपी इन विनियमों के तहत पूंजी अंशदान और शेयर लाभ जारी करने की पात्र है और

(डी) 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी के अनुसार प्रतिफल धन प्राप्ति के सबूत के तौर पर भारत में प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा जारी सभी मूल प्रमाण-पत्र एलएलपी के पास मौजूद हैं।

(ii) भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति को जारी पूंजी अंशदान/शेयर-लाभ की उचित कीमत नियत करने के तरीके का उल्लेख करते हुए सनदी लेखाकार/कास्ट एकाउंटेंट/केंद्र सरकार द्वारा पैनल के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त प्रमाण-पत्र ।

4. प्राप्त और यहां रिपोर्ट किये गये विदेशी निवेश का उपयोग धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और गैर कानूनी गतिविधि (निरोध) अधिनियम, 1967 के उपबंधों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा ।
5. पूंजी अंशदान और शेयर-लाभ के अर्जन के लिए अब तक प्रतिफलस्वरूप प्राप्त विप्रेषणों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी यूआई नंबर ।

आर														

आर														

(आवेदक के हस्ताक्षर)* :

(नाम स्पष्ट अक्षरों में) :

(हस्ताक्षरी का पदनाम) :

स्थान :

दिनांकः

(*नामित पार्टनर/एलएलपी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो)

निवेश स्वीकार करनेवाली एलएलपी के नामित पार्टनर/

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता **द्वारा फाइल किया जाने वाला प्रमाण-पत्र :**

[3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(बी)(i) के अनुसार]

उपर्युक्त ब्योरों के संबंध में हम निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं :

1. एलएलपी अधिनियम, 2008 की सभी अपेक्षाओं को पूरा किया गया है।
2. सरकारी अनुमोदन की शर्तें, यदि कोई हों, का अनुपालन किया गया है।
3. इन विनियमों के अधीन पूंजी अंशदान/ शेयर-लाभ जारी करने के लिए एलएलपी पात्र है।
4. एलएलपी के पास सभी मूल प्रमाण-पत्र मौजूद हैं जो भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों द्वारा जारी किए गए हैं, और जो 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी के अनुसार प्रतिफल राशि की प्राप्ति के सबूत हैं।

(एलएलपी के नामित पार्टनर/ प्राधिकृत

हस्ताक्षरकर्ता का नाम और हस्ताक्षर)

(मुहर)

केवल भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोगार्थ

एफडीआय/एलएलपी के लिए पंजीकरण नंबर:											

विप्रेषण की प्राप्ति के समय कंपनी को आबंटित यूआईएन	R										

फार्म एफडीआय/एलएलपी (II)

एलएलपी के पूंजी अंशदान/शेयर-लाभ के निवासी से अनिवासी को / अनिवासी से निवासी को अंतरण के संबंधी घोषणा-पत्र

(**निधियों की प्राप्ति से** 60 **दिन के भीतर**, 4 **प्रतियों में**, **प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी** I **बैंक की शाखा को प्रस्तुत किया जाए)**

निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं :

भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा एलएलपी के पूंजी अंशदान/शेयर-लाभ के अंतरण के लिए-

I. **बिक्रेता और क्रेता अथवा उनके विधिवत नियुक्त एजेंट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सहमति-पत्र और दूसरे मामले में हलफनामा संलग्न किया जाए।**

II. **भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा पूंजी अंशदान/ शेयर-लाभ के अर्जन के बाद इनवेस्टी एलएलपी द्वारा पूंजी अंशदान/शेयर-लाभ होल्डिंग का पैटर्न।**

III. **सनदी लेखाकार/कास्ट एकांउटंट/केंद्र सरकार के पैनल के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता द्वारा शेयरों के उचित मूल्य के संबंध में प्रमाण-पत्र।**

IV. **क्रेता द्वारा इस आशय का घोषणापत्र कि वह पूंजी अंशदान/शेयर-लाभ अर्जित करने के लिए पात्र है अर्थात क्रेता अथवा विक्रेता द्वारा आवश्यक सरकारी अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है और सरकारी अनुमोदन की शर्तों को पूरा कर लिया गया है, उनमें वर्णित विदेशी निवेश सीमाओं के साथ-साथ कीमत निर्धारण संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।**

भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा पूंजी अंशदान/शेयर-लाभ के संबंध में अतिरिक्त दस्तावेज।

V. **आयकर प्राधिकारी/सनदी लेखाकार/कास्ट एकाउंटंट/पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा कर बेबाकी प्रमाण-पत्र।**

1	**एलएलपी का नाम** **पता (इ-मेल, टेलीफोन नं., फैक्स नं. सहित)** **गतिविधि**	
	पहचान सं. (एलएलपीआइएन)	
2	**लेन-देन का स्वरूप** **(जो लागू न हो, उसे काट दें)**	**निवासी से अनिवासी को अंतरण/ अनिवासी से निवासी को अंतरण**
3	**क्रेता का नाम**	
	निवेशक एंटीटी का गठन/स्वरूप उल्लेख करें कि : 1. व्यक्ति 2. एलएलपी 3. कंपनी 4. विदेशी ट्रस्ट 5. प्रायवेट ईक्विटी फंड 6. पेंशन/ प्राविडंट फंड 7. सरकारी धनसंपदा निधियां[2] 8. साझेदारी/स्वामित्व वाली फर्म 9. वित्तीय संस्था 10. अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल का व्यक्ति 11. अन्य (कृपया उल्लेख करें) है।	
	निर्गमन की तारीख और स्थान	
	क्रेता का पता **(इ-मेल, टेलीफोन नं., फैक्स नं. सहित)**	
5	**विक्रेता का नाम**	
	विनिवेशक पार्टनर का गठन/स्वरूप उल्लेख करें कि 1. व्यक्ति 2. एलएलपी	

[2] सरकारी धन निधि का अर्थ है सरकारी निवेश संस्था, जिसका निधीयन विदेशी मुद्रागत परिसंपत्तियों द्वारा किया जाता हो और जो मौद्रिक प्राधिकरणों की शासकीय रिज़र्व निधियों से अलग उन परिसंपत्तियों का प्रबंध करता हो।

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">3. कंपनी
4. विदेशी ट्रस्ट
5. प्रायवेट ईक्विटी फंड
6. पेंशन/ प्राविडंट फंड
7. सरकारी धनसंपदा निधियां[3]
8. साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्म
9. वित्तीय संस्था
10. अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल का व्यक्ति
11. अन्य (कृपया उल्लेख करें) है।</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">निर्गमन की तारीख और स्थान</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">क्रेता का पता
(इ-मेल, टेलीफोन नं., फैक्स नं. सहित)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6</td><td colspan="3">एफआयपीबी के पूर्व अनुमोदनों का ब्योरा</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="5">एलएलपी के अंतरित किये जाने वाले पूंजी अंशदान अथवा शेयर-लाभ से संबंधित ब्योरा</td></tr>
<tr><td></td><td>लेन-देन की तारीख</td><td>पूंजी अंशदान/ शेयर-लाभ का प्रतिशत</td><td>मूल्य रुपये में</td><td>अंतरण* के लिए तय की गयी कीमत (रु.)</td><td>प्रतिफल राशि रुपये में</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td rowspan="3">एलएलपी में विदेशी निवेश</td><td></td><td colspan="2">पूंजी अंशदान/शेयर-लाभ</td><td>प्रतिशत</td></tr>
<tr><td></td><td>अंतरण के पहले</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>अंतरण के बाद</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">मूल्य निर्धारण संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार कीमत*
*मूल्यन रिपोर्ट (सनदी लेखाकार/कास्ट एकाउंटंट/केंद्र सरकार के पैनल के अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र संलग्न करें)</td><td></td></tr>
</table>

अंतरणकर्ता /अंतरिती द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषित करता हूँ/करते हैं कि :

i. **ऊपर दिये गये ब्यौरे मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं।**

ii. **भारत सरकार द्वारा जारी विदेशी निवेश नीति के अनुसार और फेमा विनियमावली के अंतर्गत यथा अधिसूचित एलएलपी के पूंजी अंशदान/शेयर-लाभ का मैं/के हम धारक था/थे ।**

iii. **भारत सरकार द्वारा जारी विदेशी निवेश नीति के अनुसार और फेमा विनियमावली के अंतर्गत यथा अधिसूचित एलएलपी के पूंजी अंशदान/शेयर-लाभ के अर्जन के लिए मैं/हम पात्र हैं।**

iv. **सरकारी अनुमोदन के अनुसार विदेशी निवेश सीमा और कीमत निर्धारण संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है।**

घोषणा करने वाले या विधिवत प्राधिकृत एजंट के हस्ताक्षर

दिनांक

नोट :

निवासी से अनिवासी को एलएलपी के पूंजी अंशदान/शेयर-लाभ के अंतरण संबंधी घोषणा अनिवासी क्रेता द्वारा हस्ताक्षरित की जाए और अनिवासी से निवासी को एलएलपी के पूंजी अंशदान/शेयर-लाभ के अंतरण संबंधी घोषणा अनिवासी विक्रेता द्वारा हस्ताक्षरित की जाए।

---

[3] सरकारी धन निधि का अर्थ है सरकारी निवेश संस्था, जिसका निधीयन विदेशी मुद्रागत परिसंपत्तियों द्वारा किया जाता हो और जो मौद्रिक प्राधिकरणों की शासकीय रिज़र्व निधियों से अलग उन परिसंपत्तियों का प्रबंध करता हो।

प्राधिकृत व्यापारी बैंक शाखा द्वारा प्रमाण-पत्र **यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन-पत्र सभी प्रकार से पूर्ण है।** **लेन-देन संबंधी धनराशि की प्राप्ति/भुगतान फेमा विनियमावली/रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार है।** **हस्ताक्षर** **अधिकारी का नाम और पदनाम** **दिनांक** **प्राधिकृत व्यापारी बैंक की शाखा का नाम** **प्राधिकृत व्यापारी बैंक की शाखा का कोड**

अनिवासी निवेशक के संबंध में अपने ग्राहक को जानने (केवायसी) संबंधी फार्म

विप्रेषक/निवेशक का पंजीकृत नाम **(नाम यदि निवेशक कोई व्यक्ति है)**	
पंजीकरण संख्या* (युआईएन, यदि विप्रेषक कोई व्यक्ति है)	
पंजीकृत पता (स्थायी पता, यदि विप्रेषक कोई व्यक्ति है)	
विप्रेषक बैंक का नाम	
विप्रेषक बैंक का खाता संख्या	
विप्रेषक के साथ बैंकिंग संबंधों की अवधि	

*** विप्रेषक के देश में प्रचलित विप्रेषक की सदाशयता को प्रमाणित करने वाला पासपोर्ट नं., सामाजिक सुरक्षा नं., अथवा कोई अन्य युनिक नं.।**

हम पुष्टि करते हैं कि ऊपर दी गयी सभी सूचनाएं अनिवासी निवेशक के समुद्रपारीय विप्रेषक बैंक द्वारा उपलब्ध कराने के अनुसार सत्य और सही हैं।

(विप्रेषण प्राप्त करने वाले प्राधिकृत व्यापारी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक **स्थान**

मुहर

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th March, 2014

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Third Amendment) Regulations, 2014

G.S.R. 190 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following

amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000) namely: —

1. Short Title & Commencement: —

(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by A Person Resident Outside India) (Third Amendment) Regulations, 2014.

(ii) Save as expressly provided, the amendment shall be deemed to have come into force from 20th day of May 2011.

2. Amendment to Regulation 2

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000), in Regulation 2, after clause (vii), the following new clause shall be inserted, namely: —

"(viiA) 'Limited Liability Partnership (LLP)' means a partnership formed and registered under the Limited Liability Partnership Act, 2008."

3. Amendment to Regulation 5

In Regulation 5, after the sub-regulation (8), the following new sub-Regulation shall be added, namely: —

"(9) A person resident outside India (other than a citizen of Pakistan or Bangladesh) or an entity incorporated outside India, (other than an entity in Pakistan or Bangladesh), not being a registered Foreign Institutional Investor or Foreign Venture Capital Investor or Qualified Foreign Investor registered with SEBI or Foreign Portfolio Investor registered in accordance with SEBI guidelines, may contribute foreign capital either by way of capital contribution or by way of acquisition/transfer of profit shares in the capital structure of an LLP under Foreign Direct Investment, subject to the terms and conditions as specified in Schedule 9."

4. After the existing Schedule 8, new "Schedule 9" shall be added.

[No. FEMA. 298/2014-RB]
RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager-in-Charge

Foot Note :

(i) The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R.No. 406(E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended as under :

G.S.R. No. 158(E) dated 02.03.2001
G.S.R. No. 175(E) dated 13.03.2001
G.S.R. No. 182(E) dated 14.03.2001
G.S.R. No. 4(E) dated 02.01.2002
G.S.R. No. 574(E) dated 19.08.2002
G.S.R. No. 223(E) dated 18.03.2003
G.S.R. No. 225(E) dated 18.03.2003
G.S.R. No. 558(E) dated 22.07.2003
G.S.R. No. 835(E) dated 23.10.2003
G.S.R. No. 899(E) dated 22.11.2003
G.S.R. No. 12(E) dated 07.01.2004
G.S.R. No. 278(E) dated 23.04.2004
G.S.R. No. 454(E) dated 16.07.2004
G.S.R. No. 625(E) dated 21.09.2004
G.S.R. No. 799(E) dated 08.12.2004
G.S.R. No. 201(E) dated 01.04.2005
G.S.R. No. 202(E) dated 01.04.2005
G.S.R. No. 504(E) dated 25.07.2005
G.S.R. No. 505(E) dated 25.07.2005

G.S.R. No. 513(E) dated 29.07.2005
G.S.R. No. 738(E) dated 22.12.2005
G.S.R. No. 29(E) dated 19.01.2006
G.S.R. No. 413(E) dated 11.07.2006
G.S.R. No. 712(E) dated 14.11.2007
G.S.R. No. 713(E) dated 14.11.2007
G.S.R. No. 737(E) dated 29.11.2007
G.S.R. No. 575(E) dated 05.08.2008
G.S.R. No. 896(E) dated 30.12.2008
G.S.R. No. 851(E) dated 01.12.2009
G.S.R. No. 341 (E) dated 21.04.2010

(ii) It is clarified that no person will be adversely affected as a result of the retrospective effect being given to these regulations.

Schedule 9

[See Regulation 5(9)]

Scheme for Acquisition/Transfer by a person resident outside India of capital contribution or profit share of Limited Liability Partnerships (LLPs)

The Scheme shall be called Foreign Direct Investment (FDI-LLP) in Limited Liability Partnerships (LLP) formed and registered under the Limited Liability Partnership Act, 2008.

1. Eligible Investors:

A person resident outside India or an entity incorporated outside India shall be eligible investor for the purpose of FDI in LLPs. However, the following persons shall not be eligible to invest in LLPs:

(i) a citizen/entity of Pakistan and Bangladesh or

(ii) a SEBI registered Foreign Institutional Investor (FII) or

(iii) a SEBI registered Foreign Venture Capital Investor (FVCI) or

(iv) a SEBI registered Qualified Foreign Investor (QFI) or

(v) a Foreign Portfolio Investor registered in accordance with Securities Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014 (RFPI).

2. Eligibility of LLP for accepting foreign Investment

(i) A LLP, existing or new, operating in sectors/activities where 100% FDI is allowed under the automatic route of FDI Scheme would be eligible to receive FDI. For ascertaining such sectors, reference shall be made to Annex B to Schedule 1 of Notification No. FEMA. 20/2000-RB dated 3rd May, 2000 as amended from time to time.

(ii) A LLP engaged in following sectors/activities shall not be eligible to accept (FDI):

(a) Sectors eligible to accept 100% FDI under automatic route but are subject to FDI-linked performance related conditions (for example minimum capitalisation norms applicable to 'Non-Banking Finance Companies' or 'Development of Townships, Housing, Built-up infrastructure and Construction-development projects', etc.); or

(b) Sectors eligible to accept less than 100% FDI under automatic route; or

(c) Sectors eligible to accept FDI under Government Approval route; or

(d) Agricultural/plantation activity and print media; or

(e) Sectors ineligible to accept FDI i.e. any sector which is prohibited under extant FDI policy (Annex A to Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000) as well as

sectors/activities prohibited in terms of Regulation 4(b) to Notification No. FEMA 1/2000-RB dated 3rd May, 2000 as amended from time to time.

3. Eligible investment

Contribution to the capital of an LLP would be an eligible investment under the scheme.

Note: Investment by way of 'profit share' will fall under the category of reinvestment of earnings.

4. **Entry Route**

FDI in a LLP shall require prior Government/FIPB approval.

Any form of foreign investment in a LLP, direct or indirect (regardless of nature of 'ownership' or 'control' of an Indian Company) shall require Government/FIPB approval.

5. Pricing

FDI in a LLP either by way of capital contribution or by way of acquisition / transfer of profit shares, would have to be more than or equal to the fair price as worked out with any valuation norm which is internationally accepted/adopted as per market practice (hereinafter referred to as "fair price of capital contribution/profit share of an LLP") and a valuation certificate to that effect shall be issued by the Chartered Accountant or by a practicing Cost Accountant or by an approved valuer from the panel maintained by the Central Government.

In case of transfer of capital contribution/profit share from a resident to a non-resident, the transfer shall be for a consideration equal to or more than the fair price of capital contribution/profit share of an LLP. Further, in case of transfer of capital contribution/profit share from a non-resident to resident, the transfer shall be for a consideration which is less than or equal to the fair price of the capital contribution/profit share of an LLP.

6. Mode of payment for an eligible investor

Payment by an eligible investor towards capital contribution of LLPs will be allowed only by way of cash consideration to be received -

(i) by way of inward remittance through normal banking channels; or

(ii) by debit to NRE/FCNR(B) account of the person concerned, maintained with an AD Category - I bank.

7. Reporting

(i) LLPs shall report to the Regional Office concerned of the Reserve Bank, the details of the receipt of the amount of consideration for capital contribution and 'profit shares' in Form FOREIGN DIRECT INVESTMENT-LLP(I) as specified by Reserve Bank from time to time, together with a copy/ies of the FIRC/s evidencing the receipt of the remittance along with the KYC report on the non-resident investor, through an AD Category – I bank, and valuation certificate (as per paragraph 4 above) as regards pricing at the earliest but not later than 30 days from the date of receipt of the amount of consideration. The report would be acknowledged by the Regional Office concerned, which would allot a Unique Identification Number (UIN) for the amount reported.

(ii) The AD Category – I bank in India, receiving the remittance should obtain a KYC report in respect of the foreign investor from the overseas bank remitting the amount.

(iii) Disinvestment /transfer of capital contribution or profit share between a resident and a non-resident (or vice versa) shall required to be reported within 60 days from the date of receipt of funds in Form FOREIGN DIRECT INVESTMENT-LLP(II) as specified by Reserve Bank from time to time.

8. Downstream investment

(a) An Indian company, having foreign investment (direct or indirect, irrespective of percentage of such foreign investment) will be permitted to make downstream investment in an LLP only if both, the company as well as the LLP, are operating in sectors where 100% FDI is allowed under the automatic route and there are no FDI-linked performance related conditions. Onus shall be on the LLP accepting investment from Indian Company registered under the provisions of the companies Act, as applicable to ensure compliance with downstream requirement as stated above.

(b) A LLP with FDI under this scheme will not be eligible to make any downstream investments in any entity in India.

9. Other Conditions :

(i) In case an LLP with FDI has a body corporate as a designated partner or nominates an individual to act as a designated partner in accordance with the provisions of Section 7 of the Limited Liability Partnership Act, 2008, such a body corporate should only be a company registered in India under the provisions of the Companies Act, as applicable and not any other body, such as an LLP or a Trust. For such LLPs, the designated partner "resident in India", as defined under the 'Explanation' to Section 7(1) of the Limited Liability Partnership Act, 2008, would also have to satisfy the definition of "person resident in India", as prescribed under Section 2(v)(i) of the Foreign Exchange Management Act, 1999.

(ii) The designated partners will be responsible for compliance with all the above conditions and also liable for all penalties imposed on the LLP for their contravention, if any.

(iii) Conversion of a company with FDI, into an LLP, will be allowed only if the above stipulations (except the stipulation as regards mode of payment) are met and with the prior approval of FIPB/Government.

(iv) LLPs shall not be permitted to avail External Commercial Borrowings (ECBs).

10. The LLP which have received foreign investment between May 20, 2011 to the date of issuance of instructions issued in this regard by Reserve Bank shall comply with the reporting requirement in respect of FDI within 30 or 60 days, as applicable, from the date of issuance of these instructions.

xxx

Form FOREIGN DIRECT INVESTMENT- LLP (I)

Report by the Limited Liability Partnerships (LLPs) receiving amount of consideration for capital contribution and acquisition of profit shares under the Scheme

(To be filed by the LLP through its Authorised Dealer Category – I bank, with the Regional Office of the Reserve Bank under whose jurisdiction the Registered Office of the Limited Liability Partnership making the declaration is situated, not later than 30 days from the date of receipt of the amount of consideration)

Permanent Account Number (PAN) of the investee LLP given by the IT Department	

No.	Particulars	(In Block Letters)
1.	Name of the Limited Liability Partnership Address of the Registered Office	
	State	
	Fax	
	Telephone	
	e-mail	
	Identification No.(LLPIN) issued by Office of Registrar for LLP.	

	Date of Registration		
	Whether existing LLP or new LLP	Existing LLP / New LLP (strike off whichever is not applicable)	
	If existing LLP, give registration number allotted by RBI for FDI, if any.		
2	**Details of the foreign investor**		
	Name Designated Partner Identification No. (DPIN): Address Country Constitution / Nature of the investing Entity [Specify whether 1. Individual 2. LLP 3. Company 4. Foreign Trust 5. Private Equity Fund 6. Pension / Provident Fund 7. Sovereign Wealth Fund (SWF)[1] 8. Partnership / Proprietorship Firm 9. Financial Institution 10. NRIs / PIO 11. Others (please specify)]		
3.	Date of receipt of funds		
4.	Amount	In foreign currency	In Indian Rupees
5.	Activity of the LLP		
(i)	Description of the main business activity. NIC Code		
(ii)	It is confirmed that 100% FDI is allowed under automatic route as per FDI policy without any FDI-linked performance related conditions.	Yes/No	
(iii)	Details of Government Approval (ref. no. of approval letter and date). [Copy enclosed]		
6.	Name of the AD bank through whom the remittance is received.		
7.	Address of the AD bank		

(Authorised signatory of the investee LLP) (Stamp)	(Authorised signatory of the AD bank) (Stamp)

[1] SWF means a Government investment vehicle which is funded by foreign exchange assets, and which manages those assets separately from the official reserves of the monetary authorities.

FOR USE OF THE RESERVE BANK ONLY:

Unique Identification Number for the remittance received:

DECLARATION TO BE FILED BY THE AUTHORISED REPRESENTATIVE OF THE LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP: ***(Delete whichever is not applicable and authenticate)***

We hereby declare that :

1. We comply with the procedure for capital contribution and profit shares as laid down under the Notification No. FEMA 20/2000-RB, dated 3rd May 2000, as amended from time to time.
2. Capital contribution/profit shares have been issued to the non-resident investor in terms of FIPB approval No.____________________ dated _____________________

3. We enclose the following documents in compliance with to Notification No. FEMA 20/2000-RB, dated 3rd May 2000:

(i) A certificate from our designated partner certifying that—
  (a) all the requirements of the LLP Act, 2008 have been complied with;
  (b) terms and conditions of the Government approval, have been complied with;
  (c) the LLP is eligible to issue capital contribution /profit shares under these Regulations; and
  (d) the LLP has all original certificates issued by authorised dealers in India evidencing receipt of amount of consideration in accordance with Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000.

(ii) A certificate from the Chartered Accountant/Cost Accountant/ approved valuer from the panel maintained by the Central Government, indicating the manner of arriving at the fair price of the capital contribution/profit shares issued to the persons resident outside India.

4. The foreign investment received and reported now will be utilized in compliance with the provisions of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) and Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA). We confirm that the investment complies with the provisions of all applicable Rules and Regulations.

5. Unique Identification Numbers given for all the remittances received so far as consideration for capital contribution and acquisition of profit shares (details as above), by Reserve Bank.

R														
R														

(Signature of the Applicant)* :____
(Name in Block Letters) :____
(Designation of the signatory) :____
Place:
Date:

(* To be signed by Designated Partner/Authorised Signatory of the LLP)

CERTIFICATE TO BE FILED BY THE DESIGNATED PARTNER/AUTHORISED SIGNATORY OF THE LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP ACCEPTING THE INVESTMENT:

In respect of the abovementioned details, we certify the following:

1. All the requirements of the Limited Liability Partnership Act, 2008 have been complied with.
2. Terms and conditions of the Government approval, if any, have been complied with.
3. The LLP is eligible to issue capital contribution/profit shares under these Regulations.
4. The LLP has all original certificates issued by AD Category – I banks in India, evidencing receipt of amount of consideration in accordance with provisions of Notification No. FEMA 20/2000-RB, dated May 3, 2000.

(Name & Signature of the Designated Partner/Authorised Signatory of the LLP)

(Seal)

FOR USE OF THE RESERVE BANK ONLY :

Registration Number for the FOREIGN DIRECT INVESTMENT-LLP:

Unique Identification Number allotted to the Company at the time of reporting receipt of remittance.

R													

Form FOREIGN DIRECT INVESTMENT-LLP-(II)

Declaration regarding transfer of capital contribution/profit shares of an Limited Liability Partnership from resident to non-resident / non-resident to resident

(to be submitted to the Authorised Dealer Category-1 bank branch in quadruplicate within 60 days from the date of receipt of funds)

The following documents are enclosed

For transfer of capital contribution /profit shares of a Limited Liability Partnership by a person resident in India

i. Consent Letter duly signed by the seller and buyer or their duly appointed agent and in the latter case the Power of Attorney Document.
ii. The capital contribution/ profit share holding pattern of the investee LLP after the acquisition of capital contribution/ profit shares by a person resident outside India.
iii. Certificate indicating fair value of shares from the Chartered Accountant/Cost Accountant/approved valuer from the panel maintained by the Central Government.
iv. Declaration from the buyer to the effect that he is eligible to acquire capital contribution /profit shares i.e., necessary Government approval has been obtained by the buyer or seller and terms and conditions of the Government approval, the foreign investment limits mentioned therein as well as the pricing guidelines have been complied with.

Additional documents in respect of capital contribution /profit shares of an Limited Liability Partnership by a person resident outside India.

v. No Objection/Tax Clearance Certificate from Income Tax Authority/ Chartered Accountant/Cost Accountant/Company Secretary in practice.

1	**Name of the Limited Liability Partnership**	
	Address (including e-mail , telephone Number, Fax no.)	
	Activity Identification No. (LLPIN)	
2	**Nature of transaction**	Transfer from resident to non-resident /

	(Strike out whichever is not applicable)	Transfer from non-resident to resident			
3	**Name of the buyer**				
	Constitution / Nature of the investing Entity Specify whether 1. Individual 2. LLP 3. Company 4. Foreign Trust 5. Private Equity Fund 6. Pension/ Provident Fund 7. Sovereign Wealth Fund (SWF[π]) 8. Partnership / Proprietorship firm 9. Financial Institution 10. NRIs / PIOs 11. Others				
	Date and Place of Incorporation				
	Address of the buyer *(including e-mail, telephone number, Fax no.)*				
5	**Name of the seller**				
	Constitution / Nature of the disinvesting partner Specify whether 1. Individual 2. LLP 3. Company 4. Foreign Trust 5. Private Equity Fund 6. Pension/ Provident Fund 7. Sovereign Wealth Fund (SWF[Π]) 8. Partnership/ Proprietorship firm 9. Financial Institution 10. NRIs/PIOs 11. others				
	Date and Place of Registration				
	Address of the seller *(including e-mail, telephone Number, Fax no.)*				
6	**Particulars of earlier FIPB approvals.**				
7	**Details regarding capital contribution or profit shares of a Limited Liability Partnership to be transferred.**				
	Date of the transaction	***Percentage of capital contribution/profit share***	***Value in Rs.***	***Negotiated Price for the transfer* in Rs.***	***Amount of consideration in Rs.***
8	**Foreign Investments in the** *Limited Liability Partnership*		*capital contribution/ profit shares*		*Percentage*
		Before the transfer			

[Π] SWF means a Government investment vehicle which is funded by foreign exchange assets, and which manages those assets separately from the official reserves of the monetary authorities.

		After the transfer		
	Price as per Valuation guidelines*. *Valuation report (certificate from the Chartered Accountant/Cost Accountant / approved valuer from the panel maintained by the Central Government to be attached).			

Declaration by the transferor / transferee

I / We hereby declare that :

i. The particulars given above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief.

ii. I/ We, was/were holding the capital contribution/profit shares of a Limited Liability Partnership as per foreign investment policy issued by the Government of India as well as notified under FEMA Regulations.

iii. I/ We, am/are eligible to acquire the capital contribution /profit shares of a Limited Liability Partnership in terms of the foreign investment policy issued by the Government of India as well as notified under FEMA Regulations.

iv. The foreign investment limit as per Government approval and the pricing guidelines have been adhered to.

Signature of the Declarant or
his duly authorised agent

Date:

Note:
In respect of the transfer of capital contribution /profit shares of a Limited Liability Partnership from resident to non- resident the declaration has to be signed by the non- resident buyer, and in respect of the transfer of capital contribution /profit shares of a Limited Liability Partnership from non-resident to resident the declaration has to be signed by the non-resident seller.

Certificate by the AD Bank Branch

It is certified that the application is complete in all respects.

The receipt /payment for the transaction are in accordance with FEMA Regulations / Reserve Bank guidelines.

Signature

Name and Designation of the Officer

Date: Name of the AD Bank Branch

AD Bank Branch Code

Know Your Customer (KYC) Form in respect of the non-resident investor

Registered Name of the Remitter /Investor (Name, if the investor is an Individual)	
Registration Number (Unique Identification Number* in case remitter is an Individual)	
Registered Address (Permanent Address if remitter is an Individual)	
Name of the Remitter's Bank	
Remitter's Bank Account No.	
Period of banking relationship with the remitter	

* Passport No., Social Security No., or any Unique No. certifying the bona fides of the remitter as prevalent in the remitter's country.

We confirm that all the information furnished above is true and accurate as provided by the overseas remitting bank of the non-resident investor.

(Signature of the Authorised Official
of the AD bank receiving the remittance)

Date : Place:

Stamp :

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054